न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 21 / 2024
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

अनिल छाबड़ा पुत्र खानचन्द छाबड़ा वैष्णों भोजनालय इण्डेन गैस, एजेंसी के पास, चुंगी नाका नं. 3 हनुमानगढ़—पीलीबंगा रोड़, हनुमानगढ़ जं. तहसील एवं जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट
उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री नवीन कुमार मोदी अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः—25.03.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2024 को बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की जांच बाबत् में छाबड़ा वैष्णों भोजनालय इण्डेन गैस, एजेंसी के पास, चुंगी नाका नं. 3 हनुमानगढ़—पीलीबंगा रोड़, हनुमानगढ़ जं पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री अनिल छाबड़ा पुत्र खानचन्द ने स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान एक घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुड़े पाये गये तथा चालू हालत में पाये गये। पूछताछ में बताया कि भोजन तैयार कर विक्रय किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर पाये गये भारतगैस कम्पनी के एक घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री अरूण कुमार कुलड़िया भारतगैस हनुमानगढ़ की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की तहबीज से जब्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने का निवेदन किया गया है उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा अपने होटल पर उपयोग में नहीं लिया जा रहा है बल्कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के होटल पर काम करने वाले सुशीलदास का था, जिसका उपभोक्ता क्रमांक 84393011 है, जो दिनांक

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

30.05.2017 को जारी किया हुआ है, उक्त गैस सिलेण्डर सुशीलदास द्वारा भरवाने हेतु प्रार्थी के होटल पर लाकर रखा हुआ था व प्रार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को भी इस तथ्य से अवगत करवा दिया था लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी को कोई सुनवाई नहीं की गई बल्कि टारगेट पूरा करने की गर्ज से विधिविरूद्ध तरीका से प्रार्थी के होटल पर रखा घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर लिया गया है। प्रार्थी नेन्नियत व सद्भावी है। प्रार्थी अपने कारोबार में वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग करता है। इसलिए उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराध नहीं बनता है व प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप किया जाना न्यायहित में है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे व प्रार्थी के होटल से जब्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये भारतगैस कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर भारतगैस कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा भारतगैस कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (गैस की मात्रा 2 किग्रा) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ